(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 16 **नई दिल्ली 14 फरवरी 2008**

शुद्धिपत्र

(जनवरी, 2008 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कोलकाता पत्तन न्यास के दरमान के सामान्य संशोधन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव संबंधी मामला सं. टीएएमपी/45/2005–केओपीटी में दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III खंड 4) में राजपत्र सं. 34 द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया था।

2. यह देखा गया है कि दिनांक 6 फरवरी, 2007 को अधिसूचित दरमान और इसकी शर्तों में कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं। त्रुटियाँ और की जाने वाली शुद्धियों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>खंड सं.</th><th colspan="2">अधिसूचना में यथा प्रकाशित</th><th>निम्नवत् पढ़ा जाए</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>खंड 3(iii)</td><td colspan="2">जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है .... यथा विनिर्दिष्ट खंड 17.1 पोत एजेंट/स्वामी पर प्रभार्य होगा।</td><td>जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है .... यथा विनिर्दिष्ट खंड 16.1 पोत एजेंट/स्वामी पर प्रभार्य होगा।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>खंड 3(vi)</td><td colspan="2">कंटेनरों पर भंडारण प्रभार अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित किए गए हैं। तथापि, ऐसे मामले में प्रभार अमेरिकी मुद्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरों पर भारतीय रूपए में परिवर्तित करने के पश्चात भारतीय रूपयों में वसूल किया जाएगा। पोत के पत्तन सीमा में प्रवेश की तारीख को प्रचलित विनिमय दर ऐसे परिवर्तन के लिए तारीख परिगणित की जाएगी। तथापि, यदि नौभरण के लिए प्राप्त किसी कंटेनर को बाद में बिना नौभरित किए गोदियों से हटा लिया जाता है तो पत्तन परिसर में ऐसे कंटेनर के लिए प्रवेश की तारीख इस प्रयोजन के लिए तारीख परिगणित की जाएगी।</td><td>हटा दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>खंड 3 (xxi)</td><td colspan="2">––––––</td><td>भार पर प्रभार्य दर 20 टन (20000 कि.ग्रा.) और अधिक भार वाले प्रत्येक पैकेज़/सामान के सकल भार और अन्यों के मामले में संपूर्ण परेषण पर प्रभार्य होगी।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>खंड 4.2 – क्र.सं. 2</td><td>सभी अन्य कार्गो</td><td>एस.4.1 में यथा विनिर्दिष्ट विदेशी कार्गो के लिए दरों का 60% परंतु अधिकतम रू0 50/– प्रति टन अथवा उसका भाग।</td><td><table><tr><th>विवरण</th><th>दर रूपयों में प्रति टन अथवा उसका भाग</th></tr><tr><td>सभी अन्य कार्गो</td><td>खंड 4.1 के अधीन क्र.सं. 20(क) और 20(ख) में विनिर्दिष्ट कार्गो के लिए, एस.4.1 में यथा विनिर्दिष्ट विदेशी कार्गो के लिए दरों का 60% परंतु अधिकतम रू0 50/– प्रति टन अथवा</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>उसका भाग।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>खंड 7.4</td><td>प्राप्ति की तारीख से नौभरण की तारीख तक ———————— विलंबशुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।</td><td>प्राप्ति की तारीख से नौभरण की तारीख तक ———————— विलंबशुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, उस अवधि को छोड़कर जिसके दौरान कार्गो वैध लाइसेंस/पट्टा के अधीन पत्तन द्वारा आबंटित प्लॉटों पर भंडारित किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>खंड 7.6</td><td>विलंबशुल्क वसूल किया जाएगा ——————— बिना नौभरित किए। यदि शटआऊट कार्गो किसी अनुवर्ती पोत द्वारा नौभरित किया जाता है तो एस.7.4 का उपबंध लागू होगा।</td><td>विलंबशुल्क वसूल किया जाएगा —————— बिना नौभरित किए, उस अवधि को छोड़कर जिसके दौरान वैध लाइसेंस/पट्टा के अधीन पत्तन द्वारा आबंटित प्लॉटों पर भंडारित किया जाता है। यदि शटआऊट कार्गो किसी अनुवर्ती पोत द्वारा नौभरित किया जाता है तो एस.7.4 का उपबंध लागू होगा।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>खंड 12.1</td><td>विदेशी कंटेनरों (लदे हुए और खाली दोनों) के मामले में, कंटेनर की उतराई/नौभरण के लिए ऑन–बोर्ड श्रमिक/जनशक्ति उपलब्ध करवाने के लिए रू0 247.50 प्रति टीईयू की दर से ऑन–बोर्ड प्रहस्तन प्रभार वसूल किया जाएगा। कोई भी उपस्कर समर्थन उपलब्ध करवाने के लिए, यह अलग–से वसूल किया जाएगा।</td><td>विदेशी कंटेनरों (लदे हुए और खाली दोनों) के मामले में, ऑन–बोर्ड श्रमिक/उतराई/नौभरण के लिए जनशक्ति/कंटेनर के ऑन–बोर्ड स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए रू0 247.50 प्रति टीईयू की दर से ऑन–बोर्ड प्रहस्तन प्रभार वसूल किया जाएगा। कोई भी उपस्कर समर्थन उपलब्ध करवाने के लिए, यह अलग–से वसूल किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>खंड 15.8</td><td>जोखिमपूर्ण–I कार्गो वाले लदे हुए आयात/निर्यात कंटेनरों पर भंडारण प्रभार सामान्य लदे हुए आयात/निर्यात कंटेनरों के लिए लागू भंडारण प्रभारों का 1.25 गुणा वसूल किया जाएगा।</td><td>जोखिमपूर्ण–I कार्गो वाले लदे हुए आयात/निर्यात कंटेनरों पर भंडारण प्रभार निम्नलिखित दरों पर वसूल किया जाएगाः
<table>
<tr><th>अवधि</th><th>अमेरिकी डॉलर प्रति टीईयू अथवा उसका भाग</th><th>तटीय दरें रूपयों में प्रति टीईयू प्रति दिन अथवा उसका भाग</th></tr>
<tr><td>वास्तविक उतराई/प्राप्ति का पहला दिन</td><td>निःशुल्क</td><td>निःशुल्क</td></tr>
<tr><td>2रें दिन से 9वें दिन</td><td>2.8125</td><td>125.49</td></tr>
<tr><td>10वें दिन से 15वें दिन</td><td>5.625</td><td>250.99</td></tr>
<tr><td>16वें दिन से 20वें दिन</td><td>8.4375</td><td>376.48</td></tr>
<tr><td>21वें दिन से 30वें दिन</td><td>16.875</td><td>752.96</td></tr>
<tr><td>31वें दिन से आगे</td><td>33.75</td><td>1505.93</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>खंड 16.7 – क्र.सं.1</td><td>रू0 160/– प्रति द्विवार्षिक परमिट।</td><td>रू0 2160/– प्रति द्विवार्षिक परमिट।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>खंड 20.2</td><td>ऑस्टिंग प्राथमिकता बर्थिंगः 100% के समकक्ष प्रभार —————— सीनांतरण के लिए एस.23.9 के अधीन दरों पर —————</td><td>ऑस्टिंग प्राथमिकता बर्थिंगः 100% के समकक्ष प्रभार —————— सीनांतरण के लिए एस.23.10 के अधीन दरों पर —————</td></tr>
</table>

11.	खंड 23.2	केवल सैंडहैड्स से वचुर्अल जेट्टी अथवा सायगोर/हल्दिया/डायमंड हारबर लंगरगाह अथवा हल्दिया लंगरगाह अथवा डायमंड हारबर से नीचे किसी अन्य नदी लंगरगाह और वापस पाइलटेज़ सुविधा प्राप्त करने वाला पोत परंतु कोलकाता गोदी प्रणाली अथवा हल्दिया गोदी परिसर में किसी अन्य बिंदु पर पाइलटेज़ की अपेक्षा नहीं करने वाले पोत को एस.23.1 में विनिर्दिष्ट दर में 25% की छूट दी जाएगी।	केवल सैंडहैड्स से वचुर्अल जेट्टी अथवा सायगोर/हल्दिया/डायमंड हारबर लंगरगाह अथवा डायमंड हारबर से नीचे किसी अन्य नदी लंगरगाह और वापस पाइलटेज़ सुविधा प्राप्त करने वाला पोत परंतु कोलकाता गोदी प्रणाली अथवा हल्दिया गोदी परिसर में किसी अन्य बिंदु पर पाइलटेज़ की अपेक्षा नहीं करने वाले पोत को एस.23.1 में विनिर्दिष्ट दर में 25% की छूट दी जाएगी।
12.	खंड 29.1	यदि कोई पोत नौकर्षण और पाइलटेज़ के लिए पत्तन की सेवाओं की अपेक्षा करता है तो तटीय पोत के लिए एस.24.1 में विनिर्दिष्ट दरों का 50% -------, एस.24.9 में विनिर्दिष्ट दरों का 50% ------	यदि कोई पोत नौकर्षण और पाइलटेज़ के लिए पत्तन की सेवाओं की अपेक्षा करता है तो तटीय पोत के लिए एस.23.1 में विनिर्दिष्ट दरों का 50% -------, एस.23.10 में विनिर्दिष्ट दरों का 50% ------
13.	खंड 29.2	यदि कोई पोत एस.30.1 में यथा उल्लिखित पत्तन की सेवाओं की अपेक्षा नहीं करता है तो एस.28.1 में यथा विनिर्दिष्ट गोदी टोल प्रभार वसूल किया जाएगा।	यदि कोई पोत एस.29.1 में यथा उल्लिखित पत्तन की सेवाओं की अपेक्षा नहीं करता है तो एस.27.1 में यथा विनिर्दिष्ट गोदी टोल प्रभार वसूल किया जाएगा।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष